

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 4582/2022

डॉ. अनुराधा साल्वी

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.09.2022

आदेश की दिनांक : 03.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचोली, नागौर कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी की सास कैंसर रोग जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसका उपचार भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनकी देखभाल के लिए परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। अपीलार्थी के पति भी सहायक प्रोफेसर के पद पर एस. एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। उनका तर्क है कि वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता का संरक्षण अधिनियम, 2007 की अनदेखी करते हुए प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर जिले से नागौर जिले में किया है, जो नियमों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश अनुलग्नक-4 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की सास जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है एवं सीनियर सीटिजन एण्ड प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स एक्ट, 2007 को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)